भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण की 394वीं बैठक का कार्यवृत्त
स्थान - राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण का सम्मेलन कक्ष
तिथि व समय- 19 और 20 जून, 2023 क्रमशः अपराह्न 3:00 बजे और पूर्वाह्न 11:00 बजे

******

बैठक में निम्नलिखित ने भाग लिया;

1. श्री टी.एन. तिवारी, पूर्णकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
2. श्री हेमराज आर. कामदार, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण - वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम
3. प्रो. एम. कैलाश राव, अंशकालिक सदस्य, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण - वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम
4. श्री भास्कर वर्मा, सदस्य सचिव, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

<u>कार्यसूची संख्या 01</u>

393वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

<u>एनओसी आवेदनों पर विचार</u>

<u>नए ऑनलाइन मामले:</u>

<u>मामला संख्या 01</u>

**(श्री अतुल बिंदल, ई-7, हौज़ खास मार्केट, नई दिल्ली)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में ई-7, हौज़ खास मार्केट, हौज़ खास, दक्षिणी दिल्ली, दिल्ली में कुल ऊंचाई 18.00 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ बेसमेंट+जीएफ+3 मंजिलों के साथ GF=FF=SF=TF=72.78 वर्ग मीटर, बेसमेंट का क्षेत्रफल=58.83 वर्ग मीटर और गहराई=3.50 मीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन का निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 02

**(श्री एच. शिव रामकृष्णन, प्लॉट नंबर 35 और सर्वे नंबर-33/1, यूनियन कार्बाइड कर्मचारी कॉलोनी, ओल्ड पल्लावरम, चेन्नई-600043)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर-35 और सर्वे नंबर-3, ओल्ड पल्लावरम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु पर **14.90 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ स्टिल्ट+3 मंजिल, ओवरहैड रूम तथा वाटर टैंक के साथ एफएसआई क्षेत्र: एफएफ = एसएफ = टीएफ = 48.32 वर्ग मीटर, गैर एफएसआई क्षेत्र: स्टिल्ट तलक्षेत्र = 48.32 वर्ग मीटर, चारदीवारी = 1.52 मीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। एनओसी सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 03

**(श्री सुगुमार एल., नं.2/33, बालम्मल नगर, उल्लाग्राम, चेन्नई- 600091)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर 92, सुभम नगर पार्ट-2, टीएस नंबर: 114, वार्ड नंबर बी, ब्लॉक नंबर: 53, ज़मीन, पल्लावरम गांव, पल्लावरम तालुक, तांबरम सिटी नगर निगम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु पर **9.13 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल, हैड रूम तथा वाटर टैंक के साथ एफएसआई क्षेत्र: जीएफ = एफएफ = 82.70 वर्ग मीटर, गैर एफएसआई क्षेत्र: हेडरूम = 10.53 वर्ग मीटर तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

मामला संख्या 04

**(श्रीमती एन. मालारकोडी, श्रीमती एन. वसंता प्रिया, श्रीमती एन आनंद सेल्वी, प्लॉट नंबर 100, यूनियन कार्बाइड कॉलोनी, चौथी स्ट्रीट, जमीन पल्लावरम, चेन्नई)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर:100/एस.नं.:36/7, पल्लावरम कांचीपुरम, तमिलनाडु पर 13.64 **मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 2 मंजिल, हैड रूम तथा पानी की टैंकी के साथ GF=FF=SF= 77.60 वर्ग मीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का

निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 05</u>

**(श्री सतीश कुमार पी, 11, बालाकृष्णन नैकर स्ट्रीट, शोलिंगनल्लूर, चेन्नई 600119)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में 321/3ए1सी पेरुम्बक्कम शोलिंगनल्लूर, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु में **8.84 मीटर** की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ + 1 मंजिल, ओवरहैड टैंक के साथ GF = 63.34 वर्ग मीटर, FF = 69.07 वर्ग मीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 06</u>

**(मैसर्स सुमंगली प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, श्री आनंद शिवाजी (मालिक), 5/161, पेरुमल कोइल स्ट्रीट, मेदावक्कम, चेन्नई-600100)**

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 10.71 **मीटर** (कुल मिलाकर) तक सीमित करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेज** दिया जाए।

<u>मामला संख्या 07</u>

**(श्री अशोक, 5/161, पेरुमल कोविल स्ट्रीट, मेदावक्कम, चेन्नई-600100)**

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 10.71 **मीटर** (कुल मिलाकर) तक सीमित करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेज** दिया जाए।

<u>ऑनलाइन अनुपालन मामले:</u>

<u>मामला संख्या 01</u>

**(श्री जगमोहन सिंह सी. उपाध्या, साईबाबा मंदिर के पास, कीर्ति नगर, विजयपुर)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में पी-603, एसवाई नंबर-420/2, बीजापुर, कर्नाटक, पर 7.50 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ+ 1

मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 64.80 वर्ग मीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी प्रदान करने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 02</u>

**(1) श्री कैलाशचंद्र पुत्र नागराज पाटानी 2) श्री भरत कुमार पुत्र नागराज पाटानी और 3) श्री चंद्रकांत पुत्र नागराज पाटानी, महावीर कॉलोनी, सुमति नगर, लिंगड रोड, विजयपुर-586103, कर्नाटक)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में CTS नं. 986/बी1सी, गुरुकुल रोड, सिद्धेश्वर मंदिर के पास, बीजापुर-586103, कर्नाटक में कुल ऊंचाई 12.29 मीटर + बेसमेंट = 2.15 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ बेसमेंट + जीएफ + 2 मंजिल के साथ बेसमेंट का तलक्षेत्र = 110.38 वर्ग मीटर, जीएफ (वाणिज्यिक) = 73.34 वर्ग मीटर, एफएफ (वाणिज्यिक) = 73.34 वर्ग मीटर, एसएफ (आवासीय) = 73.34 वर्ग मीटर के भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी प्रदान करने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 03</u>

**(श्रीमती पूनम रावत, मकान नंबर-572 गांव और डाकघर-पदमपुर सुखरो गुरु राम राय कॉलोनी, कोटद्वार, पौडी गढ़वाल, (उत्तराखंड)**

आवेदन पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि आवेदक को अधिकतम ऊंचाई 7.50 **मीटर** (कुल मिलाकर) तक सीमित करने के लिए कहते हुए मामले को **वापस भेज** दिया जाए।

<u>ऑफ़लाइन अनुपालन मामले:</u>

<u>मामला संख्या01</u>

**(श्री श्री कुमार, पुत्र गदलबसप्पा, कन्नड़ सरकारी स्कूल के पास, कुडली पोस्ट, शिमोगा तालुक एवं जिला-577227)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में काथा संख्या 152400501800046, कुडली गांव, कुडली पोस्ट, शिमोगा में 7.65 मीटर की कुल ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ = एफएफ = 62.65 वर्गमीटर के तलक्षेत्र के

साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, कर्नाटक की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 02</u>

**(श्री के.वी. रवि, कंदिरुथी हाउस थिरुथिकड़ रोड, कक्कड़, कुन्नमकुलम पीओ त्रिशूर-680503 केरल)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में आर. सर्वे नं. 85/20-1, वार्ड क्रमांक. VII कुन्नमकुलम, त्रिशूर पर 7.25 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) की कुल ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ मौजूदा जीएफ = 67.26 वर्ग मीटर, एफएफ = 58.44 वर्ग मीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के विस्तार के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी प्रदान करने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 03</u>

**(श्रीमती लैला एवं अन्य, चेम्ब्रयूर हाउस, वेल्लारक्कड़, डाकघर त्रिशूर-680584, केरल)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सर्वे क्रमांक 630/1-12, 630/1-13 वेल्लारक्कड़ गांव, कुन्नमकुलम तालुक, त्रिशूर पर 07.25 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) की कुल ऊंचाई के साथ GF+1 मंजिल के साथ जीएफ = 134.91 वर्ग मीटर, एफएफ = 57.93 वर्ग मीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी प्रदान करने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>ऑफ़लाइन नए मामले</u>

<u>मामला संख्या 01</u>

**(श्रीमती सुलोचना आर., टीसी 90/वीए-657, पोझिक्कारा पुथुवल वीडु, कोचुवेली, टाइटेनियम, पीओ, तिरुवनंतपुरम-21)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सर्वे नंबर 34/3-1, वार्ड नंबर 65, ग्राम तिरुवल्लम, तालुक और जिला-टीवीएम पर 07.35 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) की कुल ऊंचाई के साथ GF+1 मंजिल के साथ जीएफ = 47.95 वर्ग मीटर, एफएफ = 37.16 वर्ग मीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>मामला संख्या 02</u>

**(डॉ. हरि एन.आर., नाडुविल हाउस, थायमकुलमगारा, चेरप्पू पीओ, त्रिशूर-680561)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में सर्वेक्षण संख्या 368/9, देशम चेरपु गांव- चेरपु, तालुक त्रिशूर, जिला-त्रिशूर में 7.80 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक आदि सहित) की कुल ऊंचाई के साथ जीएफ+1 मंजिल के साथ जीएफ = 197.38 वर्ग मीटर, एफएफ = 186.32 वर्ग मीटर के तलक्षेत्र के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, केरल की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी प्रदान करने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।

<u>दिन 2 (20.06.2023)</u>

<u>ऑनलाइन नया मामला संख्या 01</u>

**(श्री लाल मोहम्मद और श्रीमती नसरीन, प्लॉट नंबर जी-5, निज़ामुद्दीन पश्चिम, नई दिल्ली)**

आवेदन पर विचार करने के बाद इस मामले में प्लॉट नंबर जी-5, निज़ामुद्दीन पश्चिम, नई दिल्ली में 14.99 मीटर (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण, टैंक, लिफ्ट रूम आदि सहित) की कुल ऊंचाई के साथ बेसमेंट+स्टिल्ट+जीएफ+2 मंजिलों के साथ बेसमेंट का तलक्षेत्र=स्टिल्ट=जीएफ=एफएफ= एसएफ=125.13 वर्गमीटर, बेसमेंट की गहराई=3.04 मीटर के साथ भवन के निर्माण के लिए एनओसी देने की **सिफारिश** करने का निर्णय लिया गया। सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली की रिपोर्ट में उल्लिखित नियमों और शर्तों के साथ एनओसी देने की सिफारिश की गई है। आवेदक को भवन निर्माण करते समय स्थानीय भवन उपनियमों का पालन करना चाहिए।